



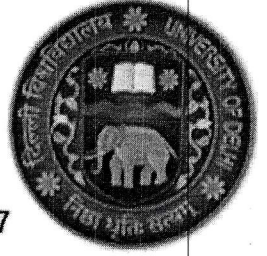
शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय SHAHEED BHAGAT SINGH EVENING COLLEGE

(दिल्ली विश्वविद्यालय) (University of Delhi)

NAAC द्वारा 'A' श्रेणी प्राप्त, NAAC Accredited 'A' Grade

शेख सराए, फेज-II, नई दिल्ली-110017, SHEIKH SARAI, PHASE-II, NEW DELHI-110017

PHONE: 011-29253430, WEBSITE: www.sbsec.org, EMAIL: principal@sbse.du.ac.in



सन्दर्भ: SBSEC/2025/129

दिनांक : 05.06.2025

महत्वपूर्ण सूचना

विषय: महाविद्यालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर प्रतिबंध के संबंध में

पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि महाविद्यालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रतिबंधित वस्तुओं में शामिल हैं:

- सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग
- डिस्पोजेबल कटलरी जैसे प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, चाकू, स्ट्रॉ, प्लेटें, कप, सॉस पाउच, आदि
- थर्मोकोल/प्लास्टिक से बनी खाद्य पैकेजिंग सामग्री
- 1 ली. और उससे कम क्षमता की प्लास्टिक पानी की बोतलें
- अन्य कोई भी वस्तु जो "Single-Use Plastic" श्रेणी में आती है

महाविद्यालय के सभी विभागों, कैंटीन संचालकों, ठेकेदारों, विक्रेताओं एवं कार्यक्रम आयोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें रु 500/- का जुर्माना भी शामिल है।

हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि वे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों — जैसे कपड़े/जूत के थैले, स्टील/कांच की बोतलें और जैव-अपघटनीय उत्पादों — का उपयोग कर इस प्रयास को सफल बनाएं।

आइए, हम सब मिलकर एक स्वच्छ, हरित एवं प्लास्टिक-मुक्त परिसर की दिशा में योगदान दें।

आदेशानुसार,

(प्रो० एस के बंदूनी)

समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

—sd—
(प्राचार्य)